न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 405–दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 132/2010–11/निगरानी.

1– मुरारीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
2– जमनाप्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
निवासीगण ग्राम सोहन तहसील भाण्डेर
जिला दतिया म.प्र. ----- आवेदकगण

विरूद्ध

भगवानसिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह
निवासी ग्राम सोहन तहसील भाण्डेर
जिला दतिया म.प्र. ----- अनावेदक

श्री के. के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण ।
श्री ए. के. अग्रवाल, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25-06-2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 132/2010–11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–1–10 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सोहन स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 355, 1145 कुल किता 2 कुल रकबा 0.465 हैक्टर शासकीय अभिलेख सन् 1995–96 में चरनोई अंकित थी । बंदोवस्त कार्यवाही के दौरान सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्र0क0 21/बी- 121/199–96 में आदेश दिनांक 24–7–96 द्वारा आवेदकगण के नाम दर्ज की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपील कलेक्टर, दतिया के समक्ष दिनांक 2–6–08 को पेश हुई । कलेक्टर दतिया ने उभयपक्ष को श्रवण कर अंतरिम आदेश दिनांक

29–3–10 द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकों को दिनांक 6–10–90 को भूमिस्वामी हक दिया गया था । जिसके विरूद्ध कोई अपील किसी के द्वारा नहीं की गई, इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था । रिकार्ड में प्रविष्टि नहीं होने के कारण सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकार करने में सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है । सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को चुनौती दिए जाने की कोई अधिकारिता अनावेदक को नहीं है । यदि उसे चुनौती देना थी तो 6–10–90 के आदेश को देना थी, जिसके द्वारा आवेदकों को भूमिस्वामी अधिकार दिए गए थे । अनावेदक को उक्त आदेश की जानकारी तत्समय हो गई थी । अनावेदक द्वारा जो अपील पेश की गई उसमें जानकारी का दिनांक अंकित नहीं किया गया । कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी । विलंब के संबंध में अनावेदक द्वारा दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । अनावेदक का कोई हित प्रकरण में नहीं है ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन दोनों सर्वे नं. चरनोई के रूप में दर्ज हैं । बिना नोइंयत परिवर्तन किए आवेदकों कानामांतरण किया गया । सहायक बंदोवस्त को नामांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है, उनका आदेश क्षेत्राधिकार रहित है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं । अनावेदक अधिवकता द्वारा न्यायदृष्टांत 2008 आर.एन. 243 का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर, दतिया द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संबंध में है जिसमें उन्होंने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने निरस्त की है । प्रकरण को देखने से यह स्थिति प्रकट होती है कि आलोच्य भूमि चरनोई की है जिसे बिना काबिल काश्त घोषित किए आवंटित नहीं किया

जा सकता है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नायब तहसीलदार भाण्डेर के प्र0क0 100/88–89/अ–19 की आदेश पत्रिका दिनांक 12–1–89 मे अंकित है कि -- " आवेदक द्वारा मांगे गये मानांक कागजात में चरनोई दर्ज हैं जब तक नोईयत तब्दील नहीं होती व्यवस्थापन विचार नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त कारणों से आवेदन पत्र निरस्त किया है जाता है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह भी पाया है कि विवादित भूमि सन् 1995–96 तक चरनोई अंकित रही और सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने कार्यवाही के दौरान प्र0क0 21/बी–12195–96 आदेश दिनांक 24–7–96 लिखते हुए ग्राम की पंजी के सरल क. 6 पर आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि की गई है, जिसका पता किसी को नहीं चला । उक्त आधार पर तथा न्यायदृष्टांत 1989 आर.एन. 243, 1962 जेएलजे शॉर्ट नोट 393, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 361 में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर के अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने संबंधी आदेश को उचित माना गया है । न्यायदृष्टांत 2008 आर.एन. 243 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा–5 अपील फाइल करने में 10 वर्ष की माफी –– स्वयं का समाधान करना संबंधित प्राधिकारी पर है – सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं न्यायिक है । वैसे भी अभी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण होना है जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर